आयोजनागत

संख्याः1483 / XXV I I I(1)–2004–102 / 2003

प्रेषक,

अतर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एंव यूनानी सेवायें,
उत्तरांचल,देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादूनःदिनांक 30 दिसम्बर,2004

विषयः– राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जौलीग्रान्ट(जनपद–देहरादून) के अनावासीय भवन निर्माण (वार्ड रहित) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 6926 / डी.–1 / 2004–05 दिनांक 03.09.2004 एंव शासनादेश संख्याः 183 / चिकित्सा–1–2004–102 / 2004 दिनांक 31.03.2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय इस वित्तीय वर्ष 2004–05 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय–जौलीग्रान्ट (जनपद–देहरादून) के अनावासीय भवन निर्माण (वार्ड रहित) हेतु भवन की कुल लागत रूपये 2-75 लाख (रू. दो लाख पिचहतर हजार मात्र) हेतु आर.ई.एस. द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रू. 2.75 लाख (रू. दो लाख पिचहतर हजार मात्र) के निम्नशर्तो पर व्यय करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति /अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा एंव स्वीकृत नार्मस से अधिक किसी भी दशा में न होगा।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी.बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकाताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखने एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली'भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करालें निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है,उसी मद पर व्यय किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय,तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9. उक्त पर होने वाला व्यय इस वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्याः12 में लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–800–अन्य व्यय–91–जिला योजना–9101–राजकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों के आवासीय /अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभागक अशासकीय संख्याः 725/वि0अनु0–2/2004–05 दिनांक 23.11.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अतर सिंह)
अनु सचिव।

संख्याः 1480(1)/XXVIII(1)–2004–102/2003तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तरांचल,देहरादून।
2. कोषाधिकारी,देहरादून।
3. क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एंव यूनानी अधिकारी,देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।
7. NIC

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
अनु सचिव।

301104002.pdf